

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

**सं. 16/2018-सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 119 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 116 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 7/2015-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 129(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**NOTIFICATION**New Delhi, the 2<sup>nd</sup> February, 2018**No. 16/2018-Customs**

**G.S.R.119(E).**—In exercise of the powers conferred by section 116 of the Finance Act, 1999 (27 of 1999) read with sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 7/2015-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number 129( E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/04/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

**सं. 17/2018-सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 120 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 57/98-सीमाशुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1998 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 420(अ), तारीख 1 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**NOTIFICATION**New Delhi, the 2<sup>nd</sup> February, 2018**No. 17/2018-Customs**

**G.S.R. 120(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 57/98-Customs, dated the 1<sup>st</sup> August, 1998, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number 420( E), dated the 1<sup>st</sup> August, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/04/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.